

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

दिनांक:- 05-06-2024

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./एमएसीपी/20/2024/118

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/ रुल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रुल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 15(1) एफडी/रुल्स/2017/पी.टी. जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि/पद	एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान देय वेतन शृंखला	देय वे वेतन शृंखला
01.	मिथलेश रावत	भरतपुर	01.11.1996	01.11.2023 (27 वर्षीय एमएसीपी)	एल-11	एल-12
02.	कुसुमलता	भरतपुर	18.08.1992	30.08.2019 (27 वर्षीय एसीपी)	एल-11	एल-12

नोट:-

- यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 05-06-2024

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./एमएसीपी/20/2024/118

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
7665560

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :04-06-2024 04:18:13